(भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली 04 अगस्त, 2016

सं. 38/37/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) - वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III (ए) दिनांक 28.02.2014 में निहित सातवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल है:

"उन सिद्धांतों की जांच करना जिनसे पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना शासित होनी चाहिए, और इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ 'नई पेंशन योजना' के दायरे में आते हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी शामिल है जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे।"

2. आयोग ने दिनांक 28.02.2014 के उल्लिखित संकल्प में निहित विचारार्थ विषय पर अपनी रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ दिनांक 19 नवंबर, 2015 को प्रस्तुत की । सरकार ने विचार करने के बाद, कुछ संशोधनों के अध्यधीन केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों पर आयोग की सिफारिशों को इसके आगे निर्दिष्ट रूप में स्वीकार कर लिया है ।

3. पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित आयोग की विस्तृत सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को इस संकल्प में अनुलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है ।

4. पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में संशोधित प्रावधान, जो अनुलग्नक में दर्शाए गए अनुसार स्वीकृत कर लिए गए हैं, 01.01.2016 से प्रभावी हो जाएंगे ।

वंदना शर्मा

(वंदना शर्मा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण :

मद सं.	सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	**नियत चिकित्सा भत्ता** आयोग ने नोट किया कि इस भत्ते को दिनांक 19.11.2014 से 300/- रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500/- रूपए प्रतिमाह किया गया था । इस प्रकार, इस भत्ते में और अधिक बढ़ोत्तरी की सिफारिश नहीं की जाती । (रिपोर्ट का पैरा 8.17.51)	अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव और सचिव (व्यय) और सदस्य के रूप में गृह मंत्रालय, रक्षा, डाक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण के सचिवों तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बनी समिति द्वारा जांच की जाएगी । जब तक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, नियत चिकित्सा भत्ते की भुगतान मौजूदा दरों पर ही किया जाएगा ।
2.	**नियत परिचर भत्ता** इस भत्ते में 1.5 गुणा वृद्धि की जा सकती है अर्थात् इसे प्रति माह 6750/- रूपए किया जा सकता है । जब भी महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होती है, इस भत्ते में भी 25% की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । (रिपोर्ट का पैरा 8.17.29)	अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव और सचिव (व्यय) और सदस्य के रूप में गृह मंत्रालय, रक्षा, डाक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण के सचिवों तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बनी समिति द्वारा जांच की जाएगी । जब तक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, सतत परिचर भत्ते की भुगतान मौजूदा दरों पर ही किया जाएगा ।
3.	सामान्य भविष्य निधि इस संबंध में यथास्थिति को बनाए रखा जा सकता है। (रिपोर्ट का पैरा 9.4.4)	स्वीकृत
4.	**पेंशन और कुटुंब पेंशन की दरें** आयोग पेंशन और कुटुंब पेंशन की दर में मौजूदा स्तरों से आगे किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं करता। (रिपोर्ट का पैरा 10.1.25)	स्वीकृत

5.	**<u>न्यूनतम पेंशन की मात्रा</u>** कार्मिक के वेतन के संबंध में आयोग की सिफारिश के कारण मौजूदा न्यूनतम 7,000 रूपये प्रतिमाह से 18,000 रूपये प्रतिमाह की उल्लेखनीय वृद्धि होगी । यह, पेंशन की गणना के आधार पर, मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 3500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये कर देगी । आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम पेंशन मौजूदा स्तर से 2.57 गुणा अधिक बढ़ जाएगी । (रिपोर्ट का पैरा 10.1.27)	स्वीकृत
6.	**<u>वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन और कुटुंब पेंशन की दर।</u>** आयोग का मानना है कि अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की मौजूदा दरें उपयुक्त हैं । (रिपोर्ट का पैरा 10.1.30)	स्वीकृत
7.	**<u>बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन के लिए समयावधि</u>** आयोग ने नोट किया है कि एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में 10 साल के लिए बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन की पात्रता की अवधि के संबंध में की गई सिफारिशें, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी । आयोग द्वारा आगे किसी और परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जा रही है। (रिपोर्ट का पैरा 10.1.33)	स्वीकृत
8.	**<u>उपदान की उच्चतम सीमा और इसका सूचीकरण</u>** आयोग ने दिनांक 01.01.2016 से उपदान की अधिकतम सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की । आयोग ने आगे अनुशंसा की कि महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपदान की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि की जाए । (रिपोर्ट का पैरा 10.1.37)	स्वीकृत

शर्मा

<table>
<tr>
<td>9.</td>
<td><u>मृत्यु उपदान को युक्तिसंगत बनाना</u>

आयोग ने इस मामले की जांच करने के बाद मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए निम्नलिखित दरों की सिफारिश की:

<table>
<tr><th>सेवा की अवधि</th><th>मृत्यु उपदान की दर</th></tr>
<tr><td>एक वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा</td></tr>
<tr><td>एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 6 गुणा</td></tr>
<tr><td>5 वर्ष या अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 12 गुणा</td></tr>
<tr><td>11 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम</td><td>मासिक परिलब्धियों का 20 गुणा</td></tr>
<tr><td>20 वर्ष या अधिक</td><td>पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अर्हक सेवा की परिलब्धियों के लिए आधे माह की परिलब्धियां जो अधिकतम 33 गुणा परिलब्धियों के अधीन है।</td></tr>
</table>
(रिपोर्ट का पैरा 10.1.41)</td>
<td>स्वीकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td><u>पेंशन का संराशीकरण और संराशीकृत पेंशन की बहाली</u>

आयोग न तो संराशीकरण के अधिकतम प्रतिशत और न ही बहाली की अवधि में किसी भी प्रकार के बदलाव की सिफारिश करता है ।

(रिपोर्ट का पैरा 10.1.43)</td>
<td>स्वीकृत</td>
</tr>
</table>

11	**<u>7वें केंद्रीय वेतन आयोग से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन</u>** आयोग 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं सीएपीएफ कर्मियों सहित सिविल कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित पेंशन तैयार करने की सिफारिश करता है (I) सीएपीएफ सहित सभी सिविल कार्मिकों, जो 01.01.2016 (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अनुमानित तिथि) से पहले सेवानिवृत्त हो गए, को उस वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे, के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के उसी न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। इस राशि को सेवानिवृत्त व्यक्ति की अर्जित वेतनवृद्धि की संख्या को तीन प्रतिशत की दर पर जोड़कर नोशनल वेतन पर पहुंचने के लिए बढ़ाया जाएगा । इस प्रकार तैयार की गई कुल राशि का पचास प्रतिशत संशोधित पेंशन होगी। (ii) की जाने वाली दूसरी गणना इस प्रकार है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय निर्धारित पेंशन को संशोधित पेंशन के लिए एक वैकल्पिक मूल्य पर पहुंचाने के लिए 2.57 से गुणा किया जाएगा । (iii) पेंशनभोगियों को किसी भी सूत्रीकरण को चुनने का विकल्प दिया जाएगा जो उनके लिए फायदेमंद है। यह पाया गया है कि ऊपर (i) में सूत्रीकरण के अनुसार पेंशन के निर्धारण में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि प्रत्येक पेंशनभोगी के वेतनवृद्धि की संख्या का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करनी होगी । इसलिए यह सिफारिश जाती है कि पहले दृष्टांत में, संशोधित पेंशन की गणना ऊपर (ii) के अनुसार की जाए और अंतरिम उपाय के रूप में इसी का भुगतान किया जाए । ऊपर (i) के अनुसार गणना किए जाने पर राशि में अधिक प्राप्त होने की स्थिति में अंतर का भुगतान बाद में किया जा सकता है। (रिपोर्ट का पैरा 10.1.67 एवं पैरा 10.1.68)	पेंशन संशोधन के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित दोनों विकल्पों को इसके क्रियान्वयन की व्यवहार्यता के अधीन स्वीकार किया जाता है । 2.57 के निर्धारण कारक के आधार पर दूसरे विकल्प का उपयोग करके पेंशन के संशोधन को तुरंत लागू किया जाएगा । पहले विकल्प को यदि अध्यक्ष के रूप में सचिव (पेंशन) और सदस्यों के रूप में रेलवे बोर्ड के सदस्य (स्टाफ), डाक विभाग के सदस्य (स्टाफ), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक सदस्य वाली समिति द्वारा जांच करने के बाद कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य पाया जाता है तो इसे लागू किया जा सकता है ।

वेरमा

12	**<u>अनुग्रह-राशि एकमुश्त मुआवजा</u>** आयोग सिविल और रक्षा बलों के कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की सिफारिश करता है जो उनके परिजनों के लिए निम्नलिखित दरों पर देय होगी:	स्वीकृत

परिस्थितियाँ	विद्यमान	प्रस्तावित
कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनावश मृत्यु होने पर	10 लाख	25 लाख
दायित्व का निर्वहन करते हुए आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के हिंसक कृत्यों के कारण दुर्घटनावश मृत्यु होने पर	10 लाख	25 लाख
सीमा झड़पों और उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मृत्यु	15 लाख	35 लाख
विनिर्दिष्ट ऊँचाई वाले क्षेत्रों, दुर्गम सीमा चौकियों आदि में ड्यूटी पर तैनाती के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसमी परिस्थितियों के कारण मृत्यु होने पर	15 लाख	35 लाख
विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित युद्ध में दुश्मन कार्रवाई के दौरान या इस तरह के युद्ध में संलग्नता के कारण होने वाली मृत्यु और विदेश में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान होने वाली मृत्यु ।	20 लाख	45 लाख

(पैरा 10.2.77)